

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.1(2)(8)स्था/मबावि/88/ 95143

जयपुर, दिनांक

11.7.18

आदेश

राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 एवं संशोधित नियम 2009 के प्रावधानानुसार पर्यवेक्षक के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र की चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना 7(2)डीओपी/ए-2/2005 दिनांक 20.1.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना 12(6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.3.2006 एवं वित्त विभाग के आदेश एफ 14(1) वित्त/नियम/2014-11 दिनांक 8.6.2015 के अनुसार दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए रुपये 8910/- प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर निम्न शर्तों पर महिला पर्यवेक्षक (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के पद पर रखा जाता है:-

- 1- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। इसी प्रकार एडहॉक बोनस के हकदार भी नहीं होंगे।
- 2- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवस का आकरिमक अवकाश देय होगा और यह अवकाश एक कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाएगा।
- 3- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण के दौरान यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यदि वह कार्य (ड्यूटी) के दौरान यात्रा पर है तो यात्रा भत्ते का भुगतान देय होगा।
- 4- नियत पारिश्रमिक में से सामान्य प्रावधानी निधि एवं राज्य बीमा हेतु कटौती नहीं की जावेगी।
- 5- वैदेशिक सेवा, प्रशिक्षण के दौरान इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
- 6- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी आदेश प्राप्त के तुरन्त बाद आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि (दिनांक 03.08-2016 तक) में उनके नाम के आगे अंकित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में उपस्थित होकर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को अपनी उपस्थिती रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा एक प्रति निम्न हस्ताक्षरकर्ता को बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवश्यक रूप से भेजी जाएगी। निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
- 7- कार्यग्रहण करने से पूर्व 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो।
- 8- कार्यग्रहण के अभ्यर्थी को आरोग्य प्रमाण पत्र जो जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
- 9- बाल विकास परियोजना अधिकारी संबंधित अभ्यर्थी से समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/ डिग्री (सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड इत्यादि) जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र प्राप्त कर मूल प्रमाण पत्रों से प्रमाणित कर पत्रावली संधारित करेंगे।
- 10- कार्य ग्रहण करते समय अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध (बॉन्ड) स्वयं के खर्च पर 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में भरकर बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। (प्रपत्र संलग्न)
- 11- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी का कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने पर उनकी सेवाएं बिना किसी प्रकार की सूचना अथवा कार्यवाही के समाप्त की जा सकती है तथा अभ्यर्थी किसी प्रकार के क्लेम का हकदार नहीं होगा।
- 12- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी का स्थानान्तरण प्रथम पदस्थापन स्थान से किसी भी परिस्थिति में अन्यत्र नहीं किया जावेगा।
- 13- परिवीक्षाधीन पर्यवेक्षक को कार्यग्रहण के पश्चात् आयोजित होने वाले प्रशिक्षण तथा परिवीक्षा अवधि में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। इन प्रशिक्षणों में भाग नहीं लेने वाली पर्यवेक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

- 14- कार्यग्रहण पश्चात् महिला पर्यवेक्षकों (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को 7-7 दिवस के कार्य प्रशिक्षण हेतु निर्देशित प्रशिक्षण स्थल पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। जिसकी सूचना प्रथक से दे दी जावेगी।
- 15- गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1) कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

क.सं.	रोल नम्बर	मेरिट नम्बर	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	पदस्थापन परियोजना
1	167361	2	नेहा भादूका	अशोक कुमार शर्मा	17.06.94	GEN	बांदीकुई द्वितीय (दौसा)
2	309590	3	सुनीता	मूंगाराम	01.09.88	GEN	फतेहपुर ग्रामीण (सीकर)
3	311924	4	बिमला देवी	गोपाललाल	03.05.92	GEN	खण्डेला (सीकर)
4	188293	5	जानी देवी	सरवन कुमार	05.05.89	GEN	सूरतगढ (श्रीगंगानगर)
5	166333	6	सुनीता	भवंरलाल कस्वां	05.02.95	GEN	राजगढ (चूरु)
6	160288	7	उर्मिला	मनोहरलाल	04.05.92	GEN	तारानगर (चूरु)
7	172282	8	गरिमा शर्मा	रमेश कुमार शर्मा	09.12.93	GEN	दौसा ग्रामीण (दौसा)
8	309596	9	सुमित्रा कमारी चौधरी	शिव भगवान	21.08.94	GEN	दातारामगढ (सीकर)
9	269503	10	अरूणा शर्मा	गजानन्द शर्मा	09.06.81	GEN	कुचामन सिटी (नागौर)
10	309540	12	सरोज	पृथ्वीसिंह	08.07.81	GEN	दातारामगढ (सीकर)
11	319626	13	पुष्पा कंवर	गोपाल सिंह	05.01.94	GEN	खण्डेला(सीकर)
12	143483	14	श्वेत निशा धन्नावत	कैलाश सिंह चारण	02.01.91	GEN	अन्ता (बांरा)
13	105402	15	मंजु देवी	शोभाराम चौधरी	04.03.91	GEN	जवाजा (अजमेर)
14	214762	16	कुसुम चौधरी	कालूराम चौधरी	22.08.86	GEN	फतेहपुर ग्रामीण (सीकर)
15	200824	17	टीना	सुरेश कुमार	01.08.82	GEN	नोहर ग्रामीण (हनुमानगढ)
16	187632	18	संगीता तरड	ओमप्रकाश तरड	30.06.93	GEN	अनूपगढ (श्रीगंगानगर)
17	305853	19	आरती मित्तल	प्रीतम चन्द मित्तल	22.09.90	GEN	सवाईमाधोपुर ग्रामीण (सवाईमाधोपुर)
18	319484	20	रजनी यादव	प्रहलाद यादव	15.06.91	GEN	विराटनगर (जयपुर)
19	273618	21	सोनम गोस्वामी	ओमपुरी	04.08.94	GEN	बिलाडा (जोधपुर)
20	204221	22	रेखा रानी	रामस्वरूप	30.01.94	GEN	हनुमानगढ ग्रामीण
21	322338	23	सन्तोष कुमारी	हरसाराम	15.04.90	GEN	लक्ष्मणगढ (सीकर)
22	105392	24	श्वेता चौधरी	नरेन्द्र कुमार चौधरी	28.05.85	GEN	भिनाय (अजमेर)
23	172533	25	प्रीति कुमारी शर्मा	बृजेश कुमार शर्मा	15.08.95	GEN	सिकराय (दौसा)
24	239989	26	सीता देवी चौधरी	जगदीश प्रसाद	10.05.93	GEN	विराटनगर (जयपुर)
25	104335	27	प्रियंका सिखवाल	हरिओम सिखवाल	25.08.87	GEN	बीकानेर द्वितीय खाजूवाला (बीकानेर)
26	103402	28	रीना चौधरी	विश्राम लाल चौधरी	05.07.93	GEN	अराई (अजमेर)
27	173144	29	मनुप्रिया शर्मा	योगेन्द्र कुमार शर्मा	07.07.89	GEN	महुवा (दौसा)
28	152889	31	किरण भाटी	करणी सिंह भाटी	14.02.93	GEN	लूणकरणसर (बीकानेर)
29	149432	32	विजयश्री आचार्य	राजेन्द्र कुमार व्यास	23.08.79	GEN	नोखा (बीकानेर)
30	183672	33	अमनदीप कौर	उदयसिंह	28.07.94	GEN	रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
31	218600	34	सीमा किशनावत	लाल सिंह किशनावत	28.12.90	GEN	नीमराना (अलवर)
32	150860	35	श्वेता	कृष्ण लाल	28.02.92	GEN	श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

33	162735	36	पुष्पा राठौड	नन्दलाल सिंह राठौड	26.08.93	GEN	चूरु शहर (चूरु)
34	220761	37	अनुभा यादव	मोहन लाल यादव	28.09.94	GEN	बानसूर (अलवर)
35	142516	39	पुष्पा चौधरी	रधुवीर सिंह	06.08.89	GEN	डीडवाना ग्रामीण (नागौर)
36	209684	40	प्रियंका	महेन्द्र कुमार	27.01.95	GEN	भादरा (हनुमानगढ़)
37	276526	41	अंतिमा शर्मा	हरि लाल शर्मा	06.10.93	GEN	सपोटरा (करौली)
38	236535	42	स्वाति शर्मा	दिलीप कुमार शर्मा	10.11.92	GEN	देसूरी (पाली)
39	289986	43	ओम कंवर	डूंगरसिंह राठौड	27.09.91	GEN	मकराना (नागौर)
40	279336	44	प्रियंका कुमारी शर्मा	केदार लाल शर्मा	01.07.93	GEN	करौली
41	111477	45	सुबोध शर्मा	ओमप्रकाश शर्मा	27.11.90	GEN	अलवर शहर (अलवर)
42	290115	46	नेहा दाधीच	दिलीप कुमार दाधीच	06.03.93	GEN	परबतसर (नागौर)
43	316711	47	मंजु कुमारी	हनमाना राम	01.03.92	GEN	खण्डेला (सीकर)
44	317814	48	भावना कंवर	भंवर सिंह शेखावत	11.11.92	GEN	श्रीमाधोपुर (सीकर)
45	103756	49	निर्मला चौधरी	सोदान सिंह चौधरी	07.05.89	GEN	जवाजा (अजमेर)
46	206896	50	नवनीत कौर	हरजिन्द्र सिंह	05.06.93	GEN	नोहर (हनुमानगढ़)
47	252471	51	आशा	जगदीश प्रसाद शर्मा	09.07.85	GEN	खेतडी (झुंझून)
48	240835	52	प्रियंका शर्मा	रामशरण शर्मा	28.06.92	GEN	देसूरी (पाली)
49	111115	53	प्रतिभा शर्मा	महेश चन्द्र शर्मा	20.11.83	GEN	बानसूर (अलवर)
50	188995	54	रूपिन्द्र कौर	हरजिन्द्र सिंह	10.03.90	GEN	सरदारशहर ग्रामीण (चूरु)
51	153534	55	मीना कुमारी राठौर	धन्नाराम राठौर	19.07.94	GEN	हिण्डौली (बून्दी)
52	310675	56	मंजु कुमारी कटेवा	रामदेवा राम कटेवा	05.05.92	GEN	राजगढ़ (चूरु)
53	290341	57	सोनू अन्नन्द	प्रभुराम	04.01.94	GEN	कुचामन सिटी (नागौर)
54	258505	58	रीता	नरसाराम	20.07.94	GEN	मकराना (नागौर)
55	103809	61	सुमित्रा माली	राधाकिशन माली	15.01.87	OBCF	मसूदा (अजमेर)
56	223547	62	प्रियंका विद्यार्थी	गौतम कुमार विद्यार्थी	03.04.90	OBCF	तिजारा (अलवर)
57	210417	63	सिमरजीत कौर	जगुतार सिंह	05.06.85	OBCF	भादरा (हनुमानगढ़)
58	213964	65	भारती जांगिड	स्व0लल्लूलाल जांगिड	12.04.93	OBCF	मालपुरा (टौंक)
59	253917	66	रेखा नेहरा	बृजलाल नेहरा	10.06.88	OBCF	परबतसर (नागौर)
60	105332	68	कर्मा छीपा	राधेश्याम छीपा	25.01.91	OBCF	अराई (अजमेर)
61	208743	69	सीता	पृथ्वीराज	02.10.94	OBCF	सुजानगढ़ (चूरु)
62	248249	70	शारदा कुमारी	कल्लाराम	10.02.87	OBCF	साचौर (जालोर)
63	182387	71	रजनी	प्रेम चन्द	15.08.91	OBCF	सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)
64	149984	72	कलावती सोनी	श्री कृष्ण सोनी	28.10.83	OBCF	नोखा (बीकानेर)
65	188838	74	नवनीत कौर	इन्द्रजीत सिंह	16.07.95	OBCF	अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)
66	131640	77	जमना चौधरी	जगराम चौधरी	01.01.88	OBCF	बाडमेर ग्रामीण (बाडमेर)
67	251605	78	अनिका	शीशराम	10.07.93	OBCF	मूण्डवा (नागौर)
68	235339	81	ममता चौधरी	बद्रीलाल चौधरी	07.03.95	OBCF	दूदू (जयपुर)
69	208175	82	सन्तोष कुमारी	ओमप्रकाश	06.07.93	OBCF	सुजानगढ़ (चूरु)

70	311389	83	संजु कुमावत	बजरंगलाल कुमावत	01.08.89	OBCF	धौंद (सीकर)
71	246230	84	सोहनी कुमारी	किशनाराम	07.08.90	OBCF	सांचोर द्वितीय चीतलवाना (जालौर)
72	194995	86	निर्मला देवी	रेवन्त राम	10.07.92	OBCF	सूरतगढ (श्रीगंगानगर)
73	186498	87	अमरिन्द्र कौर	जोरासिंह	29.06.89	OBCF	सूरतगढ (श्रीगंगानगर)
74	247286	89	मुन्नी	रधुनाथाराम जी	12.12.93	OBCF	सायला (जालौर)
75	297915	99	दुर्गा पालीवाल	भीकमचन्द्र पालीवाल	29.11.88	SCF	पाली ग्रामीण (पाली)
76	238985	105	राधिका	मदनलाल	18.03.90	SCF	बहरोड (अलवर)
77	295662	122	समोदरी	लाबुराम	30.12.87	SCF (BLV)	मूण्डवा (नागौर)
78	307937	131	सीमा मीना	हरिराम मीना	05.06.94	STF	बामनवास (सवाईमाधोपुर)
79	150548	133	जीतू चन्द्रा	रमेश चन्द्रा	15.03.83	SCF	बीकानेर द्वितीय खाजूवाला (बीकानेर)
80	279879	192	रीना मीना	देवीराम मीना	26.05.94	STF	सपोटरा (करोली)
81	212969	194	रजनी अग्रवाल	स्व० तुलसीराम गुप्ता	20.09.74	DIVGEN	अलवर शहर (अलवर)
82	105791	229	तारा	चम्पालाल	25.08.82	SCF	केकडी (अजमेर)
83	305098	266	सरोज मीना	द्वारिका प्रसाद मीना	11.03.91	STF	सवाईमाधोपुर ग्रामीण (सवाईमाधोपुर)
84	294104	300	ज्याना देवी	आयदान राम मेधवाल	06.07.94	SCF	डेगाना (नागौर)
85	100628	333	मनोज कुमारी भट्ट	स्व०भैरूलाल भट्ट	15.07.89	SCF	जवाजा (अजमेर)
86	220006	361	अनीता मीणा	किशनलाल मीणा	08.01.94	STF	कठूमर (अलवर)
87	331368	370	रोशन मीणा	श्योजीलाल मीणा	06.03.95	STF	टोंक ग्रामीण (टोंक)
88	245934	384	पुष्पा जयपाल	ओमाराम जयपाल	01.09.94	SCF	जैसलमेर
89	115371	407	सुमन मीना	हजारीलाल मीना	08.07.90	STF	अलवर शहर (अलवर)
90	241080	443	आरती मीणा	रामकरण मीणा	18.11.94	STF	मालपुरा (टोंक)
91	118623	446	बबीता मीना	प्रभाती लाल मीना	10.04.89	STF	उमरैण (अलवर)
92	227418	447	नीमा मीना	सीताराम मीना	04.01.93	STF	सोजत सिटी (पाली)
93	171917	508	प्रीति	श्रीराम मीणा	15.04.94	STF	बांदीकुई द्वितीय (दौसा)
94	140069	520	माधुरी कुमारी	ताराचन्द्र	10.07.94	SCF	वैर (भरतपुर)
95	227449	573	अनीता कुमारी मीना	ठाकरसी दास मीना	01.06.92	STF	जमवारामगढ (जयपुर)
96	111630	584	पूनम वर्मा	रामनाथ वर्मा	06.07.90	SCF	नीमराना (अलवर)
97	213815	608	अनीता मीणा	रामकिशोर मीणा	15.06.94	STF	दौसा
98	281504	612	मनीषा वर्मा	बालमुकुन्द वर्मा	11.06.90	SCF	इटावा (कोटा)
99	106147	646	मधु दिवाकर	प्रेमपाल सिंह	01.07.93	SCF	भिनाय (अजमेर)
100	110973	650	सविता वर्मा	मनोहरलाल वर्मा	10.08.90	SCF	लक्ष्मणगढ (अलवर)
101	119314	689	आशा रानी	हरिनारायण	12.06.90	SCF	मुण्डावर (अलवर)
102	317449	695	सुशीला लाखीवाल	परमानन्द वर्मा	10.01.91	SCF	दूदू (जयपुर)
103	180081	729	अनुराधा रोट	गटुलाल रोट	18.09.92	STF	बडी सादडी (चित्तोडगढ)
104	227311	731	यशोदा महावर	मदनलाल	19.11.90	SCF	सांगानेर शहर (जयपुर)
105	189948	737	राजवीर	रामप्रकाश	15.08.92	SCF	अनूपगढ (श्रीगंगानगर)
106	102528	739	निधी वर्मा	प्यारेलाल	31.08.87	SCF	जवाजा (अजमेर)
107	241294	807	सुमन कुमारी	शंकरलाल मीना	02.05.94	STF	जसवंतरपुरा (जालौर)

			मीणा				
108	287009	1252	चैना	तुलछाराम	12.08.93	OBCF (LDCP)	नागौर (नागौर)
109	202004	2130	अनुराधा शर्मा	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	15.07.85	WIDGEN	सिरोही ग्रामीण (सिरोही)
110	223994	3571	संगीता जैन	महावीर प्रसाद जैन	24.10.79	WIDGEN	कोटपूतली (जयपुर)
111	320956	3820	मधु बाजिया	गोवर्धनलाल	11.07.83	WIDGEN	दातारामगढ (सीकर)
112	287048	4265	मोना कुमावत	ओम प्रकाश कुमावत	01.06.91	OBCF (BLV)	लाडनू (नागौर)
113	224018	4896	सुमन देवी	साधुराम	04.04.84	WIDOBC	कोटपूतली (जयपुर)
114	301683	6066	निर्मला सेन	भैरूलाल नाई	11.06.76	WIDOBC	छोटीसादडी (प्रतापगढ)
115	308536	8216	मीना कुमारी यादव	धनसिंह यादव	06.02.85	OBCF (HI)	नीमकाथाना (सीकर)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एफ.1(2)(8)स्था/मबावि/10/95142 543

जयपुर, दिनांक

19.1.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राज0 जयपुर।
- निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
- समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजकर लेख है कि महिला पर्यवेक्षकों (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों) की कार्यग्रहण की एकजाई रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाया सुनिश्चित करें।
- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजकर लेख है कि संबंधित जिले के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत होने पर राजकीय सेवा हेतु उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने का श्रम करें।
- संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, ..... को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन संचालित परियोजना में पदस्थापित महिला अभ्यर्थियों (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के राज्य सेवा हेतु उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं नियत पारिश्रमिक पर कार्य करने का मूल सहमति पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराने न हो प्राप्त कर एवं शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही अन्य आवश्यक प्रमाणित प्रमाण पत्र/दस्तावेज यथा-विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज से संबंधित घोषणा पत्र आदि प्राप्त करना सुनिश्चित करें, तथा कार्यग्रहण की रिपोर्ट उपनिदेशक के माध्यम से विभाग को अविलम्ब निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। कार्यग्रहण के पश्चात् उक्त प्रशिक्षण से पूर्व अथवा पश्चात् इन महिला पर्यवेक्षकों को नियमित कार्यभार सौंपने से पूर्व आप द्वारा वर्तमान में कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों के साथ 7 दिवस का फील्ड प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना सुनिश्चित करावें।
- संबंधित महिला पर्यवेक्षक (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) ..... को भेजकर लेख है कि आप राज्य सेवा हेतु उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं नियत पारिश्रमिक पर कार्य करने का सहमति पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराने न हो एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज से संबंधित घोषणा पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करते हुए नियत अवधि में कार्यग्रहण करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- व्यक्तिगत पत्रावली।
- आदेश पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

बन्ध पत्र

यह बन्ध पत्र आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को एक पक्ष के श्री/श्रीमती ..... पत्नी/पुत्री ..... दूसरे पक्ष के श्री ..... पुत्र निवासी जयपुर (प्रथम जामीन) और श्री ..... पुत्र ..... निवासी ..... (द्वितीय जामीन) को एतद् पश्चात् सामूहिक रूप से जामीन कहलावेंगे, की ओर से राजस्थान राज्य का राज्यपाल (जो एतद् पश्चात् सरकार कहलावेंगे) के पक्ष में लिया गया।

चूंकि नियमानुसार प्रशिक्षार्थी के लिए आवश्यक है कि वह अवधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक प्रशिक्षण प्राप्त करें।

और चूंकि सरकार उक्त प्रशिक्षार्थी को एतद् पश्चात् लिखी शर्तों पर और इस शर्त पर कि जामीन यह जमानत (सिक्यूरिटी) देंगे कि प्रशिक्षाणी द्वारा कथित शर्तों के अनुसार उचित निष्पादन किया जावेगा, उसे प्रशिक्षण पर रखने को (सरकार) सहमत हो गई,

और चूंकि जामीन प्रशिक्षार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों को पूर्णतः अनुपालन निम्न दर्शाई गई पद्धति के अनुसार करने हेतु जमानत देने को सहमत हो गये हैं :-

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्ष्य है :-

1. कि सरकार द्वारा प्रशिक्षार्थी नियमानुसार कर और कथित ईकरारनामों के अनुसरण में उसे प्रशिक्षण हेतु चलन करने के प्रतिफल (कन्सीट्रेशन) में प्रशिक्षार्थी एतद् द्वारा सरकार से संविदा (इकरार) करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के दो वर्ष के अन्दर वह राज्य सेवा से न तो त्याग पत्र देगा और न सेवानिवृत्त होगा।
2. यह कि ऊपर लिखित प्रतिफल (कन्सीट्रेशन) और उक्त कथित इकरार नामे के अनुसरण में प्रशिक्षण और जामीन एतद् द्वारा सहमत है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूर्ण होने के एक या दो वर्ष की अवधि के अन्दर, यदि प्रशिक्षार्थी द्वारा त्याग पत्र देता है कि या उक्त अनुच्छेद का उल्लंघन कर कोई अन्य नियोजन (एम्प्लायमेन्ट) स्वीकार करता है तो प्रशिक्षार्थी और जामीन संयुक्त रूप से और अलग (सेवेरती) रूप से राज्य सरकार को समस्त राशि अदा करेंगे जो सरकार ने प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षार्थी को देना है एवं इसके साथ वे सब अन्य व्यय जो भी जोड़ा जावेगा इसमें सरकार को व्यय करने पड़े किन्तु प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षार्थी के लिये गये यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की राशि सम्मिलित नहीं होगी।

बशर्ते कि प्रशिक्षार्थी और जामीन को प्रशिक्षार्थी के प्रशिक्षण के दौरान दी हुई वह राशि जब तक लौटानी पड़ेगी जब तक कि सरकार की राय प्रशिक्षार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य को नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध होता हुआ जान पड़े।

इसके साक्ष्य स्वरूप यह बन्ध पत्र प्रशिक्षार्थी और जामीनों द्वारा उपर्युक्त अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया है।

प्रशिक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षरित	
साक्ष्य.....	साक्षी.....
प्रथम जामीन द्वारा हस्ताक्षरित	
साक्ष्य.....	साक्षी.....
द्वितीय जामीन द्वारा हस्ताक्षरित	
साक्ष्य.....	साक्षी.....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित जामीनों के स्वामित्व (प्लेज) में स्थायी सम्पत्ति (हमूवेल प्रोपर्टी) जिसका मूल्यांकन (वैल्यूशन) रूपये 1,50,000 से कम नहीं है।

हस्ताक्षर जिलाधीश/सहायक जिलाधीश/तहसीलदार

विशेष ध्यान हेतु इस प्रमाण पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षार्थी को दे दी गई थी।